पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी आर.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या – 65/2020

प्रार्थी – दातारसिंह पुत्र लादूराम जाति बावरी निवासी जावा सिसोदिया तहसील डेगाना जिला नागौर राज.

बनाम

अप्रार्थीगण – तहसीलदार डेगाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता प्रार्थी – श्री कमलेश नारायण व्यास

दिनांक 16.8.2021

–:: आदेश ::–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम जावा सिसोदिया की सरहद में जमीन खेत खसरा नंबर 8 रकबा 6.09 हैक्टैयर, खसरा नंबर 259 रकबा 2.39 हैक्टेयर, खसरा नंबर 244 रकबा 4.66 हैक्टेयर, खसरा नंबर 312 रकबा 2.39 हैक्टेयर, खसरा नंबर 242 रकबा 0.01 हैक्टेयर गै.मु.कुआ, खसरा नंबर 243 रकबा 4.46 हैक्टेयर, खसरा नंबर 258 रकबा 5.19 हैक्टेयर स्थित है। उपरोक्त जमीन प्रार्थी की सह खातेदारी सुदा भूमि है। प्रार्थी का सही नाम दातारसिंह पुत्र लादूराम है जो नाम इनके आधारा कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, सेवा प्रमाण पत्र व अन्य सरकारी दस्तावेजात में दर्ज है। उक्त भूमि का नामान्तकरण भरा गया तब प्रार्थी का नाम दातारसिंह पुत्र लादूराम दर्ज होना था लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से या सहवन से प्रार्थी का नाम दाताराम पुत्र लादूराम नामान्तकरण में गलत दर्ज हो गया। दातारसिंह पुत्र लादूराम व दाताराम पुत्र लादूराम नाम का प्रार्थी एक ही व्यक्ति है दो अलग–अलग व्यक्ति नहीं है। मुतनाजा खसरान की भूमि में प्रार्थी का सही नाम दर्ज नहीं होने से प्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिससे प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसे स्वीकार किया जावें। इससे किसी को किसी प्रकार की हानि नहीं होने वाली है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब/रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थी का यह कथन गलत है कि राजस्व कर्मचारियों की गलती से प्रार्थी का नाम दातारराम पुत्र लादुराम गलत दर्ज किया गया था बल्कि फौतगी नामान्तकरण के अनुसार ही प्रार्थी का नाम दातारराम दर्ज किया गया था।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित जमीन की वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम दाताराम पुत्र लादुराम दर्ज है। तहसीलदार डेगाना के द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार फौतगी नामान्तकरण से प्रार्थी का नाम दातारराम पुत्र लादुराम दर्ज हुआ है। जवाब के साथ प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 399 से इसकी पुष्टि होती है। नामान्तकरण में प्रार्थी का नाम दातारराम पुत्र लादुराम दर्ज किया गया है जबकि वर्तमान जमाबन्दी में दातारराम के स्थान पर दाताराम अंकित हो गया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लोक दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम दातारसिंह दर्ज है। प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में सरपंच ग्राम पंचायत किरड़ के द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें दातारराम पुत्र लादुराम व दातारसिंह पुत्र लादूराम दोनो एक ही व्यक्ति होना अंकित किया है। अगर उक्त जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम दातारसिंह अंकित किया जाता है तो किसी अन्य पक्ष को कोई हानि होता प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का नाम दाताराम के स्थान पर दातारसिंह किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपर्युक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार डेगाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व जावा सिसोदिया की सरहद में जमीन खेत खसरा नंबर 8 रकबा 6.09 हैक्टैयर, खसरा नंबर 259 रकबा 2.39 हैक्टेयर, खसरा नंबर 244 रकबा 4.66 हैक्टेयर, खसरा नंबर 312 रकबा 2.39 हैक्टेयर, खसरा नंबर 242 रकबा 0.01 हैक्टेयर गै.मु.कुआ, खसरा नंबर 243 रकबा 4.46 हैक्टेयर, खसरा नंबर 258 रकबा 5.19 हैक्टेयर में दर्ज नाम दाताराम पुत्र लादूराम के स्थान पर दातारसिंह पुत्र लादूराम दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। शेष खाता यथावत रहेगा।

आदेश आज दिनांक 16.8.2021 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी,
डेगाना (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

16.8.24 - पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। उभय पक्ष उप०/प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।